वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001

सा०/No. : 5-1(302)/2015-PD

दिनांक/Dated: 12.05.2021

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. **Sl. No.**	**कार्यालय ज्ञापन सं/ .** **Office Memorandum No.**	**विषय/** **Subject**
1.	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं० 4-21/2017-आईसी/ई.III(ए) दिनांक 15.04.2021 Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Office Memorandum No. 04-21/2017-IC/E.IIIA dated 15.04.2021	केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत अगली वेतनवृद्धि की तारीख के स्पष्टीकरण के संबंध में । Date of next increment under Rule 10 of Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 – Clarifications - regarding.

भवदीय/Yours faithfully

(राजीव शर्मा / Rajeev Sharma)
उप सचिव (नीति प्रभाग) / DS (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above
प्रतिलिपि/Copy to:

1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phone: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax: 91-11-23714788, Gram: CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail: jsa@csir.res.in

No. 04-21/2017-IC/E.IIIA
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
E.III.A Branch

North Block, New Delhi-110001
Dated the 15 April, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Date of next increment under Rule 10 of Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 – Clarifications - regarding.

The undersigned is directed to invite attention to this Department's O.M. of even No. dated 28th November, 2019 on the subject noted above. In the said O.M. dated 28.11.2019, in para '7', the employees who have been regularly promoted or granted financial up-gradation on or after 01.01.2016 and desire to exercise/re-exercise option for pay fixation under FR 22(1)(a)(I) were given an opportunity to exercise or re-exercise of their option for pay fixation within one month of the date of issue of the said O.M. dated 28.11.2019. However, a large number of references have been received in this Department seeking condonation of delay and allowing another opportunity to exercise/re-exercise the option for pay fixation as allowed under O.M, dated 28.11.2019 as the employees have faced time constraint, etc. in exercising their option for pay fixation thereunder.

2. The issue has been examined in this Department and the Competent Authority in partial modification of the conditions enumerated in para '7' of the said O.M. has approved for allowing another opportunity to Government employees to exercise/re-exercise option for pay fixation as allowed under O.M. dated 28.11.2019 within three months from the date of issue of this Office Memorandum. No further request for extension of date or relaxation of condition in exercising of option will be entertained under any circumstances.

3. All other conditions of O.M. dated 28.11.2019 remain unchanged.

4. In their application to the persons belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued under Article 148(5) of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

5. Hindi Version of these orders is attached.

B Manthan

(B.K. Manthan)
Deputy Secretary to the Government of India

To

1. All Ministries/Departments as per standard list. With the request to bring the content of this O.M. to the notice of all employees concerned.
2. C&AG, UPSC etc. as per standard endorsement list.
3. In-charge, R&I, for it's circulation among all Ministries/Departments.

फा. सं. 4-21/2017-आईसी/ई.III(ए)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

ई.III(ए) अनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001

दिनांक 15 अप्रैल, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत अगली वेतनवृद्धि की तारीख के स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 28 नवंबर, 2019 के समसंख्यक का.ज्ञा. की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है। दिनांक 28.11.2019 के उक्त का.ज्ञा. के पैरा '7' में जिन कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 को या इसके बाद नियमित पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है तथा जो मूल नियम 22(1)(क)(I) के तहत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करना चाहते हैं, को दिनांक 28.11.2019 के उक्त का.ज्ञा. के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण के लिए अपने विकल्प का प्रयोग या पुन: प्रयोग करने का अवसर दिया गया था। तथापि, इस विभाग में दिनांक 28.11.2019 के का.ज्ञा. में दी गई अनुमति के अनुसार वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करने में हुए विलंब को माफ करने तथा एक और अवसर प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि कर्मचारी इसमें उल्लिखित वेतन निर्धारण हेतु समय की बाध्यता आदि के कारण अपने विकल्प का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।

2. इस मामले पर इस विभाग में विचार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त का.ज्ञा. के पैरा 7 में उल्लिखित शर्तों में आंशिक संशोधन करते हुए, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों को दिनांक 28.11.2019 के का.ज्ञा. के तहत अनुमति प्रदान की गई थी, के अनुसार इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से तीन माह के भीतर वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करने का एक और अवसर प्रदान करने की अनुमति दे दी है। भविष्य में किसी भी परिस्थिति में विकल्प के प्रयोग हेतु तारीख बढ़ाने या शर्तों में छूट देने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. दिनांक 28.11.2019 के का.ज्ञा. की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर इसकी प्रयोज्यता के संबंध में, ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(बी.के. मंथन)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक सूची के अनुसार। अनुरोध है कि इस का.ज्ञा. की विषय-वस्तु को सभी संबंधित कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए।
2. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।
3. प्रभारी, आरएंडआई - कार्यालय ज्ञापन को सभी मंत्रालयों/विभागों में परिचालन हेतु।